


### सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री सुलेन्द्र टाना भगत पिता श्री परदेशी टाना भगत निवासी ग्राम: ठेठागी, थाना: पिपरवार;, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: ठेठागी, थाना सं: 86 गैर- मजूरवा (वन पट्टा) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 36/4; कुल रकबा - 02.00 एकड़ गैर- मजूरवा (वन पट्टा) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: ठेठागी, थाना: पिपरवार;, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: ठेठागी, थाना सं: 86 गैर- मजूरवा (वन पट्टा) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 36/4; कुल रकबा - 02.00 एकड़ गैर- मजूरवा (वन पट्टा) भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री सुलेन्द्र टाना भगत पिता श्री परदेशी टाना भगत निवासी ग्राम: ठेठागी, थाना: पिपरवार;, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
18.3.22